मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3600

10.08.2026 को उत्तर के लिए

वन्यजीव के हमलों से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा

3600 **श्री रुद्र नारायण पाणीः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा राज्य, विशेषकर ढेंकानाल एवं अंगुल जिलों में हाथियों तथा अन्य वन्य जीवों द्वारा किसानों की फसलों को व्यापक क्षति पहुंचाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को फसल क्षति के लिए अधिक मुआवजा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : ओडिशा राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के उपशमन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं और वे संघर्ष के ब्यौरे के साथ-साथ उसमें शामिल प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं।

मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में इन योजनाओं के तहत जंगली जानवरों के हमलों से मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में राहत अनुदान-राशि को निधि की उपलब्धता के अध्यधीन 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया तथा जिसका भुगतान भी इस संबंध में बनाए गए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों/प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है।

उक्त ब्यौरा निम्न तालिका में उपलब्ध हैं:

क्र.सं.	**जंगली जानवरों के कारण हुई क्षति की प्रकृति**	**राहत अनुदान की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रुपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपये
iii.	मामूली चोट	25,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक उपचार का व्यय
iv.	संपत्ति/फसल की हानि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपने द्वारा निर्धारित लागत संबंधी मानदंडों का पालन कर सकती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण पशुधन, फसलों और चोटों सहित मानव जीवन की हानि के लिए मानदंडों के अनुसार राहत अनुदान-राशि का भुगतान किया जाता है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं।

इस मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में राज्यों की सहायता के लिए भू-दृश्य-विशिष्ट क्षेत्रीय कार्य योजनाएं तैयार की हैं।
